Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

(कौशिल्या भवन परिसर, बैरन बाजार रायपुर)

☎ 0771–2423507 फैक्स: 0771–2422627

क्रं. 1784 2015/आ.सा.सं./ रायपुर, दिनांक 23 /6/2015

प्रति,

समस्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/
उप संचालक/जि.यो.सां.अधि.
छत्तीगसगढ़

विषय :– **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों और उनके नामितियों को बीमा समयबद्ध लाभ सुनिश्चित किए जाने संबंधी।**

संदर्भ :– **मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, का अर्द्धशास. पत्र कं 1226 दिनांक 12.6.2015**

–––000–––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र का अवलोकन करे। संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों और उनके नामितियों को बीमा का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित कराने के लिए जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं जिले के लीड बैंक द्वारा एक संयुक्त प्रकोष्ठ कायम किया जाना है। यह प्रकोष्ठ जिले में बीमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर प्रतिमाह एवं प्रतिवर्ष पात्र दावेदारों की संख्या का अनुमान कर तदनुरूप बीमा प्रकरणों की प्रस्तुति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

2/ जिला स्तर पर कलेक्टर/एडीएम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नेतृत्व में अग्रणी जिला प्रबंधक तथा जिला सांख्यिकी अधिकारी को सम्मिलित करते हुए एक प्रकोष्ठ की स्थापना किया जावेगा।

3/ कंडिका 4 अनुसार सामान्य मृत्युओं की सूचना देने के लिए नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत एवं शास. अस्पताल प्राधिकृत है। ग्रम क्षेत्र की सूचना ग्राम पंचायतों से एकत्रित कर जनपद पंचायतों द्वारा कलेक्टर को भेजी जाती है। सभी सूचनाओं के इलेक्ट्रानिक इंद्राज का कार्य कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर के निर्देशन में जिला सांख्यिकी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाता है।

अतएव उक्त योजना के सफल कियान्वयन किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम 2001 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप अपने जिले के जन्म एवं मृत्यु की प्रत्येक घटनाओं को यथा शतप्रतिशत पंजीयन करते हुए प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना अनिवार्य है। शतप्रतिशत पंजीयन व प्रमाण पत्र वितरण किए जाने हेतु अपने जिले के सभी रजिस्ट्रारों को निर्देशित करते हुए आप स्वयं निरीक्षण/समीक्षा करते रहे। योजनान्तर्गत कार्य की प्रगति से प्रत्येक माह अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(अमिताभ पाण्डा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़ रायपुर

copy to website

"प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन अवश्यक करायें"